FORM-II

(For projects other than linear projects and plantations)

(Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Pratapgarh

Ref .No. 2792 Dated 28.09.2022

TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

Incompliance of the Rule 6(3)(e)of the Forest (Conservation) Rules,2003[as amended vide the Forest(Conservation) Amendment Rules2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation)Amendment Rules 2016] it is certified that **10.4162** hectares of forest land proposed to be diverted in favors of RDSA Mining LLP for Marble Mining in the district falls within the jurisdiction of Pratapgarh village (s) **Kelamela** Gram Panchayat Kelamela in Peepalkhunt Tehsils. It is further certified that:

(c) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA, 2006 has been Carried out for the entire **10.4162** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s),Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 1.. to .6. attachment ....;

(d) The proposal for such diversion (with full details of the project and it implications, vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha or forest-dwellers, who are eligible under the FRA,2006;

(c) Each of the concerned Gram Sabha(s).has certified that all for malities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. Copies of certificate issued by the Gram Sabha (s) of **Kelamela** Gram Panchayat Kelamela villages(s) are enclosed as attachment.....01......to attachment....06........;

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a. Quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of tine FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where Applicable have been specifically safeguarded as per Section3 (I) of the FRA, 2006.

Encl.: As above.

(Sourabh Swami)
District Collector
Pratapgarh

नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर परिशिष्ट-1

पंचायत/ उप समिति केलामेला बैंच पीपलखूंट (ATOL)

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम
1	2	3	4
17.05.22	रा. प्रा. वि. केलापाड़ा केलामेला	(1) सरपंच परमेश्वर (निनामा) [signature] सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं. स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)	[signature] सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं. स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)
		(2) शम्भुलाल	

जिला प्रतापगढ़ .... (राज.) वर्ष 2022-23

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
आज दिनांक 17.05.2022 को श्रीमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी महोदय के पत्रांक 20 दिनांक 12.04.2022, 529 दिनांक 25.01.2022 एवं 643 दिनांक 10.11.2022 व इस कार्यालय के पत्रांक 93 दिनांक 22.04.22 व पंचायत समिति पीपलखूंट के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 29.04.2022 की अनुपालना में ग्राम पंचायत केलामेला के आदेश क्रमांक 58 दिनांक 09.05.2022 की पालना में राजस्व ग्राम केलामेला के प्लाट न. 02/2019 में मैंगनीज 10.4162 हेक्टेयर खनन पट्टे में खनन किया जाने हेतु पैसा अधिनियम के तहत ग्राम सभा आयोजन ग्राम के प्लाट नम्बर 02/2019 स्थित गौतम हैंडवाला में दिनांक 17.05.2022 को निम्न कार्यवाही लिखी गई।	सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)
श्रीमान सरपंच परमेश्वर निनामा की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें सभी ग्रामवासियों द्वारा गाँव के मुख्या के द्वारा पूर्व में चल रहा माइनिंग के बारे में विचार विमर्श किया गया।	
ग्राम सभा में उपस्थित लोगों द्वारा RPGM कंपनी को प्रमाण पत्र देने से पूर्व निम्न माँगे रखी गई	
प्रस्ताव संख्या 01 राजस्व गाँव केलामेला कोटापाड़ा से मगरे होते हुए डाबड़ी जंगल होते हुए राजस्व गाँव नल्दा माही नदी तक डामरीकरण किया जावे।	
(2) स्थानीय गाँव केलामेला के निवासियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता अनुसार रोजगार दिया जावे।	

सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

C

पंचायत/ उप समिति केलामेला .... बैंच पीपलखूंट

बैठक होने की दिनाङ्क	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम
1	2	3	4
			खेमजी
			[illegible]
			बापुलाल
			रावजी

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
प.स. पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
) माइनिंग के 10.9162 हैक्टर वन भूमि के अलावा दूसरी कोई जमीन नहीं ली जावे	(हस्ताक्षर) चमनलाल
) माइनिंग का वेस्ट माइनिंग मे ही डाला जायेगा न की बाहर कही और डम्प किया जायेगा।	
) गाँव केलामेला मे मॉडल इंगलिश माध्यम विद्यालय खोला जावे।	हकरू (हस्ताक्षर)
) गाँव केलामेला मे सती माता का मंदिर बनाया जावे।	बाबूलाल
) गाँव केलामेला मे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जावे!	कालु जीवा
) जो मजदूर माइनिंग मे काम करते समय उनका प्रोविडेन्ड फण्ड मे अनुदान कम्पनी द्वारा जमा किया जावे!	शुभाप
) किसी मजदूर को माइनिंग मे काम करते समय किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी कारवाई खनन कम्पनी के माध्यम से होगी।	गीरधारी
10) माइनिंग की बाउन्ड्री मे जिन लोगो का मकान व जमीन आता हो तो जिनका पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जावे!	भारता (हस्ताक्षर)
) माइनिंग के खनन कार्य से जो जिला खनिज फाउण्डेशन मे जो राशि जायेगी उस राशि का उपयोग गांव केलामेला के विकास में किया जावे।	(हस्ताक्षर) सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. प्रतापगढ़ — सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	6
(12) आयुर्वेदिक हॉस्पीटल खोला जावे।	
(13) पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये नियमित उपाय किये जावे।	[signature]
(14) गाँव केलामेला में एक आवासिय विद्यालय खोला जावे।	राय चन्द्र, [illegible] केलामेला
(15) गाँव केलामेला में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किया जावे।	[signature]
(16) खनन कार्य से पानी का स्तर नीचे चला जाता है तो पेय जल व लोगों में पानी की कमी से आने वाली समस्याओं के लिए कम्पनी की जिम्मेवारी होगी।	दिनेश, लक्ष्मण, बाबूलाल
उपरोक्त सभी मांगे (जायज) RDSA माईनिंग कम्पनी द्वारा माने जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन सभी सदस्यों द्वारा ध्वनी मत से प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।	[illegible], रावजी
आज दिनांक 17.05.2022 को कम्पनी ने (RDSA MINING LLP) मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी के धीया के द्वारा मांगे स्वीकार कर ली गई है और लिखित में कम्पनी के मोहर लगाकर दे दी गई है।	पूजा, [illegible]

[signature] सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

[signature] सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
कार्यवाही विवरण	
5	6
प्रस्ताव संख्या 01 सर्वप्रथम ग्राम सभा में प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया गया।	
ग्राम सभा में श्रीमान विकास अधिकारी	पंकेश
महोदय प.सि. पीपलखूंट के पत्र क्रमांक 142	
दिनांक 29.04.2022 द्वारा वन आरक्षित क्षेत्र	[illegible]
5 निकट केलामेला गाँव केलामेला में मैसर्स	
आर डी एस ए माईनिंग एल एल पी, पारनी	
सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज- किशनगढ़ जिला	
अजमेर के पक्ष में मंशा पत्र जारी किया गया	
है। जिसकी वन भूमि का कुल क्षेत्र 10.4162	
हैक्टेयर पर खनिज मार्बल के खनन (गैर-	
वानिकी) हेतु प्रस्ताव पत्र पर चर्चा की गई।	
जिसमें ग्राम केलामेला तहसील पीपलखूंट जिला	
प्रतापगढ़ के राजस्व ग्राम केलामेला के वन	
भूमि खसरा संख्या 1970 व 1988 में आने	
वाले कुल क्षेत्रफल 10.4162 हैक्टेयर वन भूमि	
के खण्ड में खनिज मार्बल के खनन (गैर-	
वानिकी) हेतु प्लॉट संख्या 02/2019 के	
सम्बन्ध में ग्राम सभा में खुली चर्चा कर	
वांछित क्षेत्र को खनन कार्य हेतु दिये जाने	
पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।	
यह कि राजस्थान पंचायतीराज (उपबन्धों	
का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के	
सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999	
के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत	
नियम, 2017 के नियम 11(1)(iii) कि	
अनुपालना में मैसर्स आर.डी.एस ए माईनिंग	
एल एल पी पारनी सदन, तेली मोहल्ला,	सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)
मदनगंज- किशनगढ़ जिला अजमेर को ग्राम	

सरपंच

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
ायत केलामेला के राजस्व ग्राम केलामेला	
लॉट संख्या - 02/2019 में क्षेत्रफल 10.4162-	
टेयर किस्म वन भूमि मे खनन किये जाने	
जारी किये गये मंशा पत्र एवं प्रस्ताव ग्राम	
ा में पढ़कर सुनाया गया एवं खनन कार्य	
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए	
सम्मति से सहमति व्यक्त की गई।	
उक्त परियोजना स्थाई प्रकृति की	
े के कारण स्थानीय नागरिको को रोजगार	
लब्ध होगा। जिससे इनके जीवन स्तर	
सुधार होगा व ग्राम पंचायत को इस	
रियोजना के चलने से आय होगी।	
यह ग्राम सभा राजस्थान पंचायतीराज	
पबन्धो का अनुसूचित क्षेत्रो में उनके लागू	
ोने के सम्बंध में उपान्तरण) अधिनियम	
999 के नियम 3 (1) के तहत विधिवत रूप	
आयोजित की गई तथा सारी प्रक्रिया	
वं नियमों की पूर्ण पालना की गई।	
उक्त ग्राम सभा 50 प्रतिशत से अधिक	
ाम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में खनन	
रियोजना प्रस्ताव पर खुली चर्चा कर उक्त	
खनन परियोजना के प्रस्ताव को पारित	
किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नानु-	
सार है।	
अनापत्ति प्रमाण पत्र	सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान	
ंचायतीराज (उपबन्धो का अनुसूचित क्षेत्रो	
में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण)	
अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अप्रधान-	सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
ज रियायत नियम, 2017 के सम्बन्ध में -	
न्तारण) के नियम 11(2)(iii) कि अनुपालना	
मैसर्स आर डी एन ए माइनिंग एल एल	
पाटनी सदन तेली मोहल्ला मदनगंज -	
शनगढ़ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत	
मेला के राजस्व ग्राम केलामेला के खसरा	
या- 02/2019 में क्षेत्रफल 10.4162 हैक्टेयर	
त वन भूमि में खनन किये जाने हेतु	
ी किया गया है।	
खान विभाग द्वारा मैसर्स आर डी	
ए माइनिंग एल एल पी पाटनी सदन	
ी मोहल्ला मदनगंज - किशनगढ़ जिला	
जमेर को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता	
ो ग्राम पंचायत केलामेला को किसी	
ार की आपत्ति नहीं होगी।	
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान	
ायतीराज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों	
उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण)	
धिनियम 1999 के नियम 3(ब) के तहत ग्राम	
भा का विधिवत आयोजन करने पश्चात	
या सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी	
या गया है।	
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते	
मय राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों	
अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के	
बंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 के	
भी नियमों का पालन किया गया है।	

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतापगढ़ (राज.) वर्ष 2022-23

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
प्रस्ताव संख्या 02 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ राजस्थान के आदेश क्रमांक 2142-44 दिनांक 16-05-2022 एवं श्रीमान विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़, राजस्थान के आदेश क्रमांक 142 दिनांक 29.04.2022 के अनुपालना में श्रीमान परमेश्वर निनामा पुत्र नारायण लाल निनामा सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि श्री ओमप्रकाश आलड़िया की उपस्थिति में विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन रखा गया। कोरम पूर्ण रहा।	
कार्यवाही विवरण	
सर्व प्रथम ग्राम सभा मे प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया गया।	
ग्राम सभा में जिला कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 2142-44 दिनांक 16-05-2022 और श्रीमान विकास अधिकारी महोदय प.स. पीपलखूंट के पत्र क्रमांक 142 दिनांक 29.04.2022 द्वारा वन आरक्षित क्षेत्र के निकट केलामेला गाँव केलामेला मे मैसर्स आर डी एस ए माईनिंग एल एल पी, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला, मदनगंज - किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष मे मंशा पत्र जारी किया गया है जिसकी वन भूमि का कुल क्षेत्र 10.4162 हेक्टेयर पर खनिज मार्बल के खनन (गैर वानिकी) हेतु प्रस्ताव पत्र पर चर्चा की गई। जिसमे ग्राम केलामेला तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ के जो राजस्व ग्राम	सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला ग्र.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला

प्रतापगढ़ .... (राज.) वर्ष 20..22-23 J.

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
6	6
ामेला के वन भूमि खसरा संख्या 1970 व	
88 में आने वाले कुल क्षेत्रफल 10.4162	
हैक्टर वन भूमि वन खण्ड में खनिज मार्बल	
खनन (गैर वानिकी) हेतु प्लॉट संख्या	
/2019 के सम्बन्ध में ग्राम सभा में खुली	
चर्चा कर वांछित क्षेत्र को खनन कार्य हेतु	
जाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त	
ई।	
अनारक्षण का सम्पूर्ण प्रस्ताव ग्राम	
ा में पढ़कर सुनाया गया। जिस पर उक्त	
नन प्रोजेक्ट के इस क्षेत्र में स्वीकृति होने	
, चूंकि विषम परिस्थिति में जीवन यापन	
रहे स्थानीय निवासियों / नागरिकों के	
े आय के नये स्त्रोत होंगे। उक्त खनन	
जना को स्थानीय भाषा में पढ़कर ग्राम	
ा में उपस्थित सभी आमजन को सुनाया	
या। जिस पर वन क्षेत्र पर आश्रित -	
म्परागत वनवासियों द्वारा सहमति व्यक्त	
गई। उक्त परियोजना स्थाई प्रकृति की है	
। यहा के स्थानीय निवासियों / नागरिकों	
रोजगार उपलब्ध होगा। जिससे इनके	
न यापन स्तर में सुधार होगा व ग्राम	
ामत को इस परियोजना के चलने से स्थाई	
य होगी। अतः वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन	
ुमति हेतु सभी सदस्यों की सहमति	
की गई है।	
उक्त ग्राम सभा 50 प्रतिशत	
अधिक ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति	
ं खनन परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा कर	सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6

क्त खनन परियोजना के प्रस्ताव को पारित
किया गया।

वन अधिकार अधिनियमों की अनुपालना
सम्बन्ध मे स्पष्ट किया गया है कि उक्त
न क्षेत्र की सीमा में आने वाले भाग के लिये
पवर्तन हेतु प्रस्तावित है, इसमें अनुसूचित
न जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
अन्तर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्था-
न की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

वन अधिकार अधिनियमों की
नुपालना के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता
कि उक्त वन क्षेत्र ग्राम सभा व राजस्व
रेकार्ड एवं ग्राम पंचायत मे उपलब्ध रिकार्ड
पूर्णतः जांच कर ली है, जिसके आधार पर
क्त खसरों में किसी व्यक्ति या समुदाय के
ई भी दावे अनुसूचित जन जाति और
न्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों
मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
बित अथवा अनिर्णीत नही है।

उक्त वन भूमि खनन परियोजना हेतु
प्रयोग मे लिया जाता है तो ग्राम वासियों
व ग्राम सभा को कोई आपत्ति नही होगी।

यह निर्णय वन आरक्षित क्षेत्र के निकट
लामेला गॉव केलामेला की वन भूमि कुल
न 10.4162 हेक्टेयर ग्राम पंचायत
लामेला हेतु सर्व आम जन को सूचित
बुलाई गयी ग्राम सभा की बैठक मे
किया गया और सभी के द्वारा हस्ताक्षर

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स. पीपलखूंट जि. प्रतापगढ़ (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला

बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
5	6
किये गये। जो कि सर्वसम्मति से बैठक रजिस्टर्ड मे दर्ज किये गये।	

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स. पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स. पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़ (राज.)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट - 2

कार्यालय, ग्राम पंचायत, केलामेला

पं. स. पीपलखूंट, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/ग्रा.पं.के./2022-23/58 दिनांक 24-05-2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायत राज (उपबंधो का अनुचित क्षेत्रो में उनके लागु होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 11(1) (iii) की अनुपालना में मेसर्स आर डी एस ए माईनिग एल एल पी ,पाटनी सदन ,तेली मोहल्ला मदनगंज -किशनगढ़ जिला अजमेर को ग्राम पंचायत केलामेला के राजस्व ग्राम केलामेला के प्लाट संख्या -02/2019 में क्षेत्रफल 10.4162 हेक्टेर किस्म वन भूमि में खनन किये जाने हेतु जारी किया गया है |

खान विभाग द्वारा मेसर्स आर डी एस ए माईनिग एल एल पी ,पाटनी सदन ,तेली मोहल्ला मदनगंज -किशनगढ़ जिला अजमेर को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचायत केलामेला को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होंगी |

यह अनापत्ती प्रमाण पत्र राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो का अनुचित क्षेत्रो में उनके लागु होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम 1999 के नियम 3 (1) के तहत ग्राम सभा दिनाक 17/05/2022 प्रस्ताव संख्या 2 के तहत जारी किया जा रहा है |

यह अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करते समय राजस्थान पंचायत राज (उपबंधो का अनुचित क्षेत्रो में उनके लागु होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम 1999 के सभी नियमो का पालन किया गया है |

सधन्यवाद

सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़(राज.)

प्रमाणित
विकास अधिकारी
पंचायत समिति पीपलखूंट
जिला प्रतापगढ़(राज.)

(वीर सिंह निनामा)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
पं.स.पीपलखूंट,जि.प्रतापगढ़(राज.)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-3

कार्यालय, ग्राम पंचायत, केलामेला

पं. स. पीपलखूंट, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/ग्रा.पं.के./ 77 दिनांक 05-06-2022

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

दिनांक 17.05.2022 को ग्राम पंचायत केलामेंला,तहसील पीपलखूंट,जिला–प्रतापगढ़ ग्राम सभा की बैंठक आयोजित की गयी । बैंठक में **RDSA MINING LLP** पाटनी सदन तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़,जिला अजमेर के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर विचार किया गया ।

RDSA MINING LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.05.2021 को **LOI** जारी कर दी गयी है । कुल 10.4162 हैक्टेयर वन भूमि के खसरा संख्या –1970,1988 पर वनाधिकार अधिनियम् 2006 के नियम् 2008 की धारा 3 (1) तथा धारा 3 (2) के तहत् व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे लम्बित या प्रक्रियाधीन/विचाराधीन नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति को ग्राम पंचायत क्षैत्र की प्रस्तावित वन भूमि में खन्न पट्टें को स्वीकृत किये जाने से कोई आपत्ति नहीं हैं । इस सम्बन्ध में ग्राम पचायत एवं ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया, कि वन भूमि का खनन् परियोजना हेतु उपयोग किया जाता हैं, तो ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं हैं ।

सरपंच
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स.पीपलखूंट जि.प्रतापगढ़(राज.)

(वीरसिंह निनामा)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत केलामेला
पं.स.पीपलखूँट,जि.प्रतापगढ़(राज.)

(A)

परिशिष्ट – 4

(A+B)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांकः–राजस्व / 2022 / 387 दिनांकः– 5.08.2022

प्रेषिति,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
प्रतापगढ़ (राज.)

विषयः– ग्राम केला मेला एवं दांता पं.स. पीपलखूँट अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मंशा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग–उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन / विपथन के संबंध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक राजस्व / FRA–2006 / विपथन / 2022–23 / 2142–44 दिनांक 16.05.2022

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि दिनांक 27.07.2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक–2142–44 दिनांक 16.05.2022 संदर्भ बाबत्–ग्राम केलामेला एवं दांता ग्राम ग्रा.पं. बोरी पी पं.स.पीपलखूँट के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमियों पर मार्बल खनन स्वीकृति मन्शा पत्र अनुसार वन भूमियों के उपयोग / उपभोग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 25.07.2022 की अनुपालना में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के साथ किया गया। तत्पश्चात बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही की गई–

1. राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूँट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम केला मेला ग्रा.पं. केलामेला में 10.4162 हैक्टेयर वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु पाया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर पूर्व में वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत किसी को भी अधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है एवं साथ ही उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् 2006 के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 10.4162 हैक्टेयर में किसी का रहवास नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम् 2006 की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है। शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है। उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं., खसरों का कुल क्षेत्रफल, मंशा पत्र में पड़ने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	1970	वन भूमि	15.50	8.0090
2	1988	वन भूमि	14.75	2.4072
	कुल क्षेत्रफल		30.25	10.4162

2. राज्य सरकार द्वारा पं.स. क्षेत्र पीपलखूँट के अन्तर्गत RDSA MINING LLP के पक्ष में जारी मन्शा पत्र दिनांक 12.05.2021 के अनुसार राजस्व ग्राम दांता पं.स. बोरी पी में 74.2490 है. वास्ते खनिज मार्बल हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु पाया गया कि उक्त वन भूमि में वनाधिकार अधिनियम 2006, के तहत पूर्व में चार वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है.)
1	नारायण / विठली हकरू	416	0.22
		420	0.22
		योग	0.44
2	रंगजी / शारदा हकरू	413	0.71
		414	0.20
		415	0.22
		योग	1.13
3	धीरजमल / काली मंगला	424	0.53

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग

4	सुरेश/चम्पा हकरू	421	0.60
	कुल योग		2.70

उक्त चारों वनाधिकार पत्र धारकों (पट्टा धारकों) द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में खनन गतिविधियों हेतु स्वविवेक से यथायोग्य मुआवजा/प्रतिकर राशि फर्म RDSA MINING LLP से प्राप्त कर अपने–अपने अधिकार पत्र (पट्टा) उक्त फर्म के पक्ष में समर्पित कर दिये है। समर्पण की पुष्टी में अधिकार पत्रों एवं वनाधिकार समर्पण पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की गई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में वर्तमान में वन भूमि पर इसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के अन्तर्गत लम्बित अथवा अनिर्णित नहीं है। साथ ही सम्पूर्ण आवेदित वन क्षेत्र 74.2490 है. में किसी का रहवास नहीं है। अनूसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही अनूसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभा की इसमें सहमति है।

उपरोक्त वर्णित चारों वनाधिकारों (पट्टा धारकों) के अतिरिक्त उक्त प्रस्तावित वन भूमि 74.2490 है. पर अन्य कोई वनाधिकार पत्र (पट्टा) जारी नहीं किया गया है न ही कोई आवेदन लम्बित तथा अनिर्णित है उक्त वन भूमि में आने वाले खसरा नं., खसरों का कुल क्षेत्रफल, मंशा पत्र में पड़ने वाला क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा नंबर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (है.)	LOI क्षेत्र में आने वाला कुल रकबा (है.)
1	270	वन भूमि	1.3100	0.9800
2	271	वन भूमि	0.0900	0.0450
3	347	वन भूमि	0.5000	0.3312
4	587/357	वन भूमि	0.9600	0.9600
5	588/361	वन भूमि	0.2500	0.2500
6	589/381	वन भूमि	0.3300	0.3300
7	402	वन भूमि	0.6800	0.6800
8	412	वन भूमि	2.2300	2.2300
9	413	वन भूमि	0.7100	0.7100
10	414	वन भूमि	0.2000	0.2000
11	415	वन भूमि	0.2200	0.2200
12	416	वन भूमि	0.2200	0.2200
13	420	वन भूमि	0.2200	0.2200
14	421	वन भूमि	0.6000	0.6000
15	424	वन भूमि	0.5300	0.5300
16	362	वन भूमि	5.9500	5.9500
17	376	वन भूमि	25.7500	0.1114
18	363	वन भूमि	0.9500	0.9500
19	364	वन भूमि	9.2500	3.1861
20	613/362	वन भूमि	23.0000	20.4994
21	614/364	वन भूमि	6.5000	6.5000
22	615/376	वन भूमि	33.0000	25.5459
कुल	22		113.4500	74.2490

अतः आवेदक संस्था RDSA MINING LLP के पक्ष में जिला स्तरीय नोन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूंट (राज.)

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ (राज

परिशिष्ट - 5

(A TO E)

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in

Fax No. 01478–222262

क्रमांक : राजस्व/FRA–2006/DLC/2022/2533

दिनांक :– 17.08.2022

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008–2012 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान निम्नांकितानुसार अधिकारी पदाधिकारी मनोनित सदयगण उपस्थित रहें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	विभाग	पदनाम
01	श्री सौरभ स्वामी	जिला कलक्टर	राजस्व/प्रशासन	अध्यक्ष
02	श्री सुनील कुमार	उप वन संरक्षक	वन विभाग	सदस्य
03	श्री जितेन्द्र मीणा	उपायुक्त	TAD	सदस्य सचिव
04	श्री पिकेंश पटवा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
05	श्रीमती अनिता मीणा	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य
06	श्रीमती चम्पा देवी	जिला परिषद सदस्य	पंचायतीराज	मनोनीत सदस्य

बैठक के दौरान कार्यालय से जारी सूचना पत्र क्रमांक :– राजस्व/FRA–2006/2022/2508–21 दिनांक 08.08.2022 में विहित निम्नांकित अनुसार एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. **वनाधिकार के तहत् अस्वीकृत फाईलों की KML के संबंध में** :– इस संबंध में उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में ऑफ लाईन प्रक्रिया से प्राप्त कुल 15735 व्यक्तिगत दावों में से 8749 स्वीकृत दावों के उपरान्त अस्वीकृत श्रेणी के 6986 वनाधिकार दावों में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के पास उपलब्ध रिकार्ड अनुसार KML योग्य 1322 अस्वीकृत दावों की KML File तैयार कर FSI को प्रेषित की जा चुकी है तथा 3107 अस्वीकृत दावों में आवेदित भूमि का उल्लेख नहीं पाये जाने से KML योग्य नहीं है तथा शेष 2557 अस्वीकृत वनाधिकार पत्रावलीयों के ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समितियों स्तर से वर्ष 2009–10 के दौरान रिकार्ड संधारण के अभाव से उक्त पत्रावलियों का संख्यात्मक आंकड़ा मात्र जिला स्तरीय समिति के पास है।

किन्तु निरस्त/अस्वीकृत पत्रावलियां रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त निरस्त दावों की KML कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है इस संबंध में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 के दौरान भी माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित विडियो क्रांफेसिंग तथा अन्य बैठकों के दौरान आयुक्त महोदय TAD द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसार उक्त 2557 मिसिंग दावों का वर्तमान संचालित अभियान में पुनः आवेदन किये जा चुके होगें जिनका निस्तारण भी हो चुका होगा ऐसी स्थिति में उक्त 2557 पूर्व के दावों की संख्या अस्वीकृत 6986 दावों में से कम कर दिये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया था किन्तु आदिनांक तक उक्त दावाकृत संख्यात्मक आंकड़ा TAD विभाग के रिकार्ड पर यथावत् होने से बार बार 2557 दावों के KML की मांग की जा रही है।

इस संबंध में विगत बैठक दिनांक 28.04.2022 को लिए गए निर्णय अनुसार पुनः प्रमुख शासन सचिव महोदय TAD एवं आयुक्त महोदय TAD उदयपुर को अवगत कराये जाने बाबत् लिखा जाने का निर्णय भी बैठक के दौरान लिया गया।

प्रतिलिपि
Mahesh
अधिकारी कोपिंग
प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

2. वनाधिकार अभियान प्रगति समीक्षा :– बैठक के दौरान जिले में ऑन लाईन प्रक्रिया से वर्तमान तक प्राप्त कुल व्यक्तिगत दावों 16320 में से 14071 दावे अस्वीकृत किये जा चुके है एवं 799 दावों के जिला स्तरीय समिति स्तर से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है तथा उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति अरनोद से वर्तमान में प्राप्त 83 दावों में से 80 दावों के स्वीकृत योग्य पाये जाने तथा 03 दावे निरस्त योग्य पाये गए है जिनका यथाशीघ्र सत्यापन किया जाना अपेक्षित बताया गया। इस प्रकार DLC स्तर पर वर्तमान तक 882 दावे स्वीकृत हेतु प्राप्त हुए है तथा अवशेष 1185 दावें ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन है जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए। इसी प्रकार अभियान अवधी के दौरान सामुदायिक अधिकार से संबंधित प्राप्त कुल 282 दावों में से 217 दावे निरस्त हो चुके है तथा 65 दावे वर्तमान तक ग्राम स्तरीय एवं उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समितियों के समक्ष विचाराधीन है जिनके यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गए।

3. **RDSA Mining LLP को तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के राजस्व ग्राम केलामेला में 10.4162 हैक्टर तथा राजस्व ग्राम दांता में 74.2490 हैक्टर वन भूमि प्रत्यार्वन एवं विपथन हेतु नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा वन भूमि के बदले गैर वन भूमियों की प्रत्यावर्तन कार्यवाही** :– इस संबंध में उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/387 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 27.07.2022 के दौरान राज्य सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर द्वारा जारी मंशा पत्र क्रमांक :– प.10(6) खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 अनुसार राजस्व ग्राम केलामेला अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 02/2019 क्षेत्र 10.4162 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई।

उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम आराजी संख्या 1970 रकबा 15.50 हैक्टर में से 8.0090 हैक्टर तथा आराजी संख्या 1988 रकबा 14.75 हैक्टर में से 2.4072 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 10.4162 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 17.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड़ स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति केलामेला की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

इसी प्रकार राज्य सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग जयपुर के मंशा पत्र क्रमांक :– प.10(6) खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा जारी मंशा पत्र अनुसार राजस्व ग्राम दांता अन्तर्गत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अन्तर्गत जरिये प्लॉट संख्या 01/2019 क्षेत्र 74.2490 हैक्टर वन भूमि वास्ते खनिज मार्बल हेतु RDSA Mining LLP के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति हेतु LOI जारी की गई उक्त क्रम में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम दांता की आराजी संख्या 270 रकबा 1.3100 हैक्टर में से 0.9800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 271 रकबा 0.0900 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर एवं आराजी संख्या 347 रकबा 0.5000 हैक्टर में से 0.3312 हैक्टर तथा आराजी संख्या 587/357 रकबा 0.9600 हैक्टर एवं आराजी संख्या 588/361 रकबा 0.2500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 589/381 रकबा 0.3300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 402 रकबा 0.6800 हैक्टर एवं आराजी संख्या 412 रकबा 2.2300 हैक्टर तथा आराजी संख्या 413 रकबा 0.7100 हैक्टर एवं आराजी संख्या 414 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी संख्या 415 रकबा 0.2200 हैक्टर तथा आराजी संख्या 416 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 420 रकबा 0.2200 हैक्टर एवं आराजी संख्या 421 रकबा 0.6000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.5300 हैक्टर एवं आराजी संख्या 362 रकबा 5.9500 हैक्टर तथा आराजी संख्या 376 रकबा 25.7500 हैक्टर में से 0.1114 हैक्टर एवं आराजी संख्या 363 रकबा 0.9500 हैक्टर एवं आराजी संख्या 364 रकबा 9.2500 हैक्टर में से 3.1861 हैक्टर तथा आराजी संख्या 613/362 रकबा 23.0000 हैक्टर में से 20.4994 हैक्टर एवं आराजी संख्या 614/364 रकबा 6.5000 हैक्टर तथा आराजी संख्या 615/376 रकबा 33.0000 हैक्टर में से 28.5459 हैक्टर कुल किता 22 रकबा 74.2490 हैक्टर वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता ग्राम पंचायत बोरी –पी द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 22.04.2022 के

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ (राज.)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है, परन्तु राजस्व ग्राम दांता की वन भूमि आराजी संख्या 416 एवं 420 रकबा 0.44 हैक्टर भूगि का श्री नारायण/विठली हकरू को वनाधिकार पत्र मिला हुआ है तथा आराजी संख्या 413, 414, 415 रकया 1.13 हैक्टर भूमि हेतु श्री रंगजी/शारदा हकरू के पक्ष में वनाधिकार पत्र जारीशुदा है तथा आराजी संख्या 424 रकबा 0.53 हैक्टर भूमि पर श्री धीरजमल/काली मंगला के पक्ष में वनाधिकार पत्र स्वीकृत किया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम की आराजी संख्या 421 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर श्री सुरेश/चम्पा हकरू के पक्ष में जारीशुदा है। उक्त पट्टा धारकों द्वारा अपने अधिकार पत्र जरिये 500/- रूपये तादाती पृथक-पृथक स्टांप पत्रों के राजकीय पक्ष में उक्त अधिकार पत्रों का समर्पण शपथ पत्रों से कर दिया गया है। जिन्हें स्वीकार किये जाने की सिफारिश के साथ उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में अन्य कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति दांता की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में समर्पित 04 वनाधिकार पत्रों को विलोपित किये जाने के संबंध में आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर को स्पष्ट प्रतिवेदन भिजवाया जाकर उक्त दावों के समस्त स्तरों (SLC एवं MoTA तथा MoEF) से विलोपन कराने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार वन भूमियों के विपथन के फलस्वरूप कमी वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा हैं. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा हैं. में	
01	पीपलखुंट	केलामेला	1970	8.0090	धरियावद	सेवानगर	68/4	10.50	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/भू. आ/2022-23/2207-13 दिनांक 31.05.2022
02	पीपलखुंट	केलामेला	1988	2.4072					
	किता 2			10.4162	किता 01			10.50	
01	पीपलखुंट	दांता	270	0.9800	धरियावद	पहाड़ा	964	4.2092	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/ भू. आ/2022-23/2535-45 दिनांक 17.08.2022
02	पीपलखुंट	दांता	271	0.0450			964/1	5.4435	
03	पीपलखुंट	दांता	347	0.3312			1457	5.9120	
04	पीपलखुंट	दांता	587/357	0.9600			1457/10	9.9846	
05	पीपलखुंट	दांता	588/361	0.2500			2070	19.9507	
06	पीपलखुंट	दांता	589/381	0.3300		मियाला	10	13.50	
07	पीपलखुंट	दांता	402	0.6800	प्रतापगढ़	आमलीखेरा			
08	पीपलखुंट	दांता	412	2.2300					
09	पीपलखुंट	दांता	413	0.7100					
10	पीपलखुंट	दांता	414	0.2000					
11	पीपलखुंट	दांता	415	0.2200					
12	पीपलखुंट	दांता	416	0.2200					
13	पीपलखुंट	दांता	420	0.2200			429	0.39	
14	पीपलखुंट	दांता	421	0.6000			88	8.51	
15	पीपलखुंट	दांता	424	0.5300			89	7.10	
16	पीपलखुंट	दांता	362	5.9500					
17	पीपलखुंट	दांता	376	0.1114					
18	पीपलखुंट	दांता	363	0.9500					
19	पीपलखुंट	दांता	364	3.1861					
20	पीपलखुंट	दांता	613/362	20.4994					
21	पीपलखुंट	दांता	614/634	6.5000					
22	पीपलखुंट	दांता	615/376	25.5459					
	किता 22			74.2490	किता 9			75	

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमादित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा नॉन लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

4. **ग्रामीण सड़क सुहागपुरा से अचलावदा T-11 0/0 KM जव 8/0 KM के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 4.62 हैक्टर के विपथन हेतु लिनियर प्रमाण पत्र तथा प्रत्यावर्तन कार्यवाही** :- इस संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पीपलखुंट के पत्र क्रमांक :- राजस्व/2022/271 दिनांक 05.07.2022 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 05.07.2022 के दौरान अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय प्रतापगढ़ (मुख्यालय अरनोद) के पत्र क्रमांक :- 2022-23/46 दिनांक 18.04.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार Construction of Upgradation Rural road From T-11 Suhagpura to Achlawada Upto Block Border Road KM 0/0 to 8 /0 KM के मध्य आने वाली वन भूमियों क्रमश : राजस्व ग्राम पठार, कुणी, सुजानपुरा, पनावला, डांगपुरा अन्तर्गत 4.62 हैक्टर वन भूमि वास्ते वन भूमियों के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20.05.2022 के अनुसार उक्त भूमियों पर किन्हीं भी दावेदारों का वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 की धारा 3 (1) अथवा धारा 3 (2) के तहत् कोई दावा लम्बित नहीं है और उक्त भूमियों पर किसी भी वनवासी के पक्ष में कोई वनाधिकार अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा उक्त भूमियों पर कोई वनवासी निवासरत् नहीं होने के आधार पर प्रेषित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति पीपलखुंट द्वारा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति मोटीखेड़ी/सुहागपुरा की सिफारिसों को स्वीकृत करते हुए जिला स्तरीय समिति के समक्ष वास्ते अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त क्रम में वन भूमियों के विपथन फल स्वरूप कमी वन भूमि रकबा 4.62 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तर पर गठीत फोरेस्ट लैण्ड बैंक से गैर-वन भूमियों का प्रत्यावर्तन भी निम्न प्रकार से कर दिया गया है।

क्र. सं.	विपथन हेतु प्रस्तावित वन भूमियों का विवरण				वन भूमियों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्यावर्तित गैर वन भूमियों का विवरण				प्रत्यावर्तन आदेश विवरण
	तहसील क्षेत्र	ग्राम वन भूमि	खसरा संख्या	विपथित रकबा है. में	तहसील क्षेत्र	ग्राम गैर वन भूमि	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तित रकबा हैं. में	
01	सुहागपुरा	पठार	06	0.6600	छोटीसादड़ी	राजपुरा	21	5.00	जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक :- राजस्व/ भू. आ/2022-23/ 2546-51 दिनांक 17.08.2022
02			274						
03			275						
04			276						
05			293						
06			295						
07		कुणी	207	1.0200					
08			192						
09			191						
10			154						
11			8						
12		सुजानपुरा	03	1.4300					
13			01						
14			314						
15			315						
16			366						
17		पनावला	120	0.8600					
18			335						
19			365						
20			333						
21			121						
22			122						
23			119						
24		डांगपुर	375	0.6500					
	किता 24			4.6200	किता 01			5.00	

उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों वनाधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं PESA Act 1996 नियम 2011 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की अनुपालना प्रकरण में

सत्य प्रतिलिपि
भारी अधिकारी कोपिंग
लेक्टेट प्रतापगढ़ (राज

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

की जाने उपरान्त प्रस्तावित माईनिंग प्रकरणों को अनुमोदित किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा लिनियर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

बैठक सहर्ष समाप्त की गई।

(जितेन्द मीणा) R.Ac.S
उपायुक्त TAd प्रतापगढ़
सदस्य सचिव
जिला स्तरीय वनाधिकार

(सुशील कुमार) IFS
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़
सदस्य
जिला स्तरीय वनाधिकार

(सौरभ स्वामी) I.A.S
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला
स्तरीय वनाधिकार समिति,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपी :– वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग जयपुर (राज.)
2. आयुक्त महोदय जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
3. उप वन संरक्षक प्रतापगढ़
4. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर (राज.)
5. उपखण्ड़ अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट
6. तहसीलदार प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट/दलोट/सुहागपुरा
7. विकास अधिकारी प्रतापगढ़/अरनोद/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट/.दलोट/सुहागपुरा/धमोत्तर
8. क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रतापगढ़/देवगढ़/धरियावद/छोटीसादड़ी/पीपलखुंट
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–II मुख्यालय अरनोद जिला प्रतापगढ़
10. ग्राम पंचायत केलामेला/बोरी–पी/चांदौली/सुहागपुरा/सेवानगर
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
12. गार्ड फाईल

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कॉपिंग
कलेक्टेट प्रतापगढ़ (रा...

परिशिष्ट–6

राजस्थान –सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in Fax No- 01478-222262

क्रमांक : राजस्व / भू.आ. / 2022–23 / 2207–13 दिनांक :– 31.05.2022

–:: आदेश :: –

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर के पत्र क्रमांक :– RDSA/Mines/21-22/03 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :– प.10(6)खान / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे / प.2 / प्रताप / डेलि / प्लॉट सं. 01 / 2019 / 2020 / 563 दिनांक 10.12.2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम केलामेला तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 10.4162 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है।

उपर्युक्त वन भूमियों के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन / विपथन हेतु आवेदक संस्था द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व / भूआ. / 2021–22 / 899–910 दिनांक 13.07.2021 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 1620–31 दिनांक 29.09.2021 तथा पत्र क्रमांक :– 1671–81 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उपखण्ड़ अधिकारी धरियावद के पत्र क्रमांक :– राजस्व / 2021–22 / 09 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा प्रस्तावित अनुसार प्रस्तावित प्रयोजनार्थ वन भूमियों के बदले राजस्व ग्राम सेवानगर की आराजी संख्या 68 / 4 रकबा 37.5624 हैक्टर में से 10.50 हैक्टर गैर वन भूमियों के विपथन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

उक्त क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व / वन भूमि / प्रत्यार्वत / 2021–22 / 34–34 दिनांक 12.01.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 2117 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :–एफ. / तक. / उवसं. / 2021–22 / 3230–31 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित / अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :– प.10(6)खान / ग्रुप–2 / 2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे / प.2 / प्रताप / डेलि / प्लॉट सं. 01 / 2019 / 2020 / 563 दिनांक 10.12.2020 एवं 374 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम केलामेला तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 10.4162 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा पत्र में वर्णित वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम सेवानगर की आराजी संख्या 68 / 4 रकबा 37.5624 हैक्टर में से 10.50 हैक्टर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत Set Apart की जाकर उक्त भूमि रकबा Forest Land Bank में समायोजित करते हुए वन विभाग को वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित / विपथित / आवंटित की जाती है।

तहसीलदार धरियावद आरक्षित / आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवंटित / आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

क्रमांक : राजस्व / भू.आ. / 2022–23 / 2207–13 दिनांक :– 31.05.2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. उपखण्ड़ अधिकारी / तहसीलदार / विकास अधिकारी धरियावद
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद
4. ग्राम पंचायत अणत पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
6. आदेश पंजिका।

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी कोपिंग
कलेक्टर प्रतापगढ़ (राज

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

E:-Revenue section:Adesh.doc